

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 527 / 13

संस्थापन दिनांक :- 31 / 10 / 13

फाईलिंग नं. 233504001192013

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

नानभारु उर्फ आयोध्या प्रसाद पिता दीवानजी बसदेवा
उम्र 28 वर्ष, निवासी रानीडोंगरी,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 20.12.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 23.10.2013 को समय करीब 08:30 बजे या उसके लगभग ग्राम रानीडोंगरी स्कूल के पास थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी जिसकी कुल लंबाई 15 इंच, चौड़ाई 2 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 23.10.2013 को प्रधान आरक्षक बिसनसिंह को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति ग्राम रानीडोंगरी में स्कूल के पास हाथ में धारदार छुरी लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है जिस पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के मौके पर पहुंचा तथा अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ा तथा मौके पर अभियुक्त से एक लोहे की छुरी जप्त कर जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 381/13 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 23.10.2013 को समय करीब 08:30 बजे या उसके लगभग ग्राम रानीडोंगरी स्कूल के पास थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी जिसकी कुल लंबाई 15 इंच, चौड़ाई 2 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?”

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

5 बिसनसिंह (अ.सा.-2) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 23.10.2013 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उसे मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर वह हमराह स्टाफ के साथ ग्राम रानीडोंगरी स्कूल के पास पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे की छुरी लिए आने जाने वाले लोगों को डराते धमकाते मिला। अभियुक्त द्वारा छुरी रखने के संबंध में लायसेंस न होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे का छुरी जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अपराध क्र. 381/13 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-3) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल-ए को वही छुरी होना बताया है जो उसने अभियुक्त से जप्त की थी।

6 प्रकाश सिंह रघुवंशी (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि वह वर्ष 2013 में पुलिस थाना आमला में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह प्रधान आरक्षक बिसनसिंह के साथ ग्राम रानीडोंगरी में ग्राम भ्रमण पर गया था। ग्राम भ्रमण के दौरान बिसनसिंह को सूचना मिली थी कि स्कूल के पास रानीडोंगरी में अभियुक्त हाथ में धारदार छुरी लेकर लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना पर वे मौके पर पहुंचे थे जहां अभियुक्त हाथ में लोहे की छुरी लेकर लोगों को डरा धमका रहा था। प्रधान आरक्षक बिसन सिंह ने अभियुक्त के कब्जे से एक लोहे की छुरी जप्त कर उसे गिरफ्तार किया था।

7 जियालाल (अ.सा.-3) एवं नंदू (अ.सा.-4) ने अपने समक्ष अभियुक्त

से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है परंतु साक्षी जियालाल (अ.सा.-3) ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर उनके हस्ताक्षर होना बताया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुए है।

8 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी जियालाल (अ.सा.-3) एवं नंदू (अ.सा.-4) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर प्रकाश सिंह रघुवंशी (अ.सा.-1) एवं बिसनसिंह (अ.सा.-2) की साक्ष्य उपलब्ध है। **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ़ एम०पी० ए.आई.आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

9 बिसनसिंह (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में सूचना मिलने पर मौके पर जाना तथा अभियुक्त से लोहे की धारदार छुरी जप्त करना एवं थाना वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। प्रकाश सिंह रघुवंशी (अ.सा.-1) ने बिसन सिंह के साथ मौके पर जाना तथा अभियुक्त को धारदार छुरी लेकर लोगों को डराते धमकाते देखा जाना बताया है।

10 बिसनसिंह (अ.सा.-2) ने प्रति परीक्षण में यह बताया कि जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) पर नमूनासील नहीं है। जप्तशुदा छुरी का नाप उसने उंगुल से किया था। इसके अलावा साक्षी से औपचारिक स्वरूप के प्रश्न पूछे गए हैं। प्रकाश सिंह रघुवंशी (अ.सा.-1) ने प्रति परीक्षण में यह बताया कि मौके पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, जहां पर हमेशा आवागमन चालू रहता है।

11 प्रकरण में रोजनामचा सान्हा खानगी एवं वापसी का प्रस्तुत नहीं किया गया है। जप्ती एवं गिरफ्तारी प्रपत्रों में अपराध क्रमांक लेख है जिससे इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही उपरांत तैयार किये गए होंगे। बिसन सिंह (अ.सा.-2) ने जप्तशुदा आयुध की नाप अंगुल करना बताया है। विवेचक साक्षी बिसन सिंह एवं प्रकाश सिंह रघुवंशी के कथनों में विरोधाभास है। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है एवं निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि जप्तशुदा आयुध वही है जो कि अभियुक्त से जप्त किया गया था।

12 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 23.10.2013 को समय करीब 08:30 बजे या उसके लगभग

ग्राम रानीडोंगरी स्कूल के पास थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी जिसकी कुल लंबाई 15 इंच, चौड़ाई 2 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त नानभारु को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

13 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

14 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

15 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)